Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 24, 2020 (BHADRA 2, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2020

No. 25-HLA of 2020/70/11520.— The Haryana Fire Service (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 25-HLA of 2020

THE HARYANA FIRE SERVICE (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Fire Service Act, 2009.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Fire Service (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 17th August, 2020.

Amendment of section 15 of Haryana Act 12 of 2009.

2. For sub-section (1) of section 15 of the Haryana Fire Service Act, 2009, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) Any person proposing to construct a building to be used for any purpose other than residential purpose or a residential building of more than 16.5 mtrs. in height proposed on residential plot or proposed for other residential purposes of more than 15 mtrs. in height, such as group housing, multi-storeyed flats, walk-up apartments, etc., before the commencement of the construction, shall apply for the approval of Fire Fighting Scheme conforming to National Building Code of India, the Disaster Management Act, 2005 (Central Act 53 of 2005), the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) and the Punjab Factory Rules, 1952, and issue of no objection certificate on such form, along with such fee, as may be prescribed.".

Repeal and saving.

3. (1) The Haryana Fire Service (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No.5 of 2020), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

An Ordinance No. Leg. 21/2020, dated 17.08.2020 has been issued by the Law and Legislative Department for making an amendment in Section 15 of the Fire Service Act, 2009 to exempt a height of 16.5 Mtrs. for Four Floors for residential purposes on residential plot for obtaining approval of Fire Fighting Schemes and Fire NOCs. This relaxation has been given only qua residential plots. The substituted Sub Section (1) of Section-15 of the Haryana Fire Service Act, 2009 is as under: -

"*Any person proposing to construct a building to be used for any purpose other than residential purpose or a residential building of more than 16.5 Mtrs. in height proposed on residential plot or proposed for other residential purposes of more than 15 Mtrs. in height, such as group housing, multi-storeyed flats, walk-up apartments, etc., before the commencement of the construction, shall apply for the approval of Fire Fighting Scheme conforming to National Building Code of India, the Disaster management Act, 2005 (Central Act 53 of 2005), the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) and Punjab Factory Rules, 1952, and issue of no objection certificate on such form, along with such fee, as may be prescribed.*"

2. The above said provision has already been made by the Town and Country Planning Department, Haryana in the Haryana Building Code, 2017 and it was requested to the department of Urban Local Bodies-cum-Fire Service, Haryana, Panchkula to make the said provision in the relevant Act and Rules of Fire Department.

3. Therefore, to convert the Ordinance No. Leg. 21/2020, dated 17.08.2020 issued by Law and Legislative Department into the Bill for substituting the Sub Section (1) of Section-15 of the Haryana Fire Service Act, 2009 is placed before the House of Haryana Vidhan Sabha for consideration and approval.

ANIL VIJ,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

CHANDIGARH: R. K. NANDAL,
The 24th August, 2020. Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 25 एच.एल.ए.

हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2020
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

(2) यह 17 अगस्त, 2020 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2009 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 15 का संशोधन।

2. हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा 15 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) आवासीय प्रयोजन से भिन्न या आवासीय प्लाट पर प्रस्तावित ऊँचाई में 16.5 मीटर से अधिक के किसी आवासीय भवन के किसी प्रयोजन के लिए या प्रस्तावित ऊँचाई में 15 मीटर से अधिक जैसे ग्रुप हाउसिंग, बहु–मंजिल फलैट्स, वॉक–अप अपार्टमैंट इत्यादि, के अन्य आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी भवन के निर्माण को प्रस्तावित करने वाला कोई व्यक्ति निर्माण के प्रारम्भ से पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 53), कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) तथा पंजाब कारखाना नियम, 1952 के अनुरूप अग्निशामक स्कीम के अनुमोदन तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ ऐसे प्ररूप में अनापत्ति प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए आवेदन करेगा।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

विधि और विधायी विभाग द्वारा अध्यादेश संख्या 21/2020, दिनांक 17.08.2020 द्वारा रिहायशी उद्देश्य के लिए 16.5 मीटर की उंचाई तक के चार–मंजिलों हेतु रिहायशी प्लॉटों पर से छूट प्रदान करने अग्निशमन योजनाओं और अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए हरियाणा अग्निशमन अधिनियम, 2009 की धारा–15 में संशोधन जारी किया गया है। हरियाणा अग्निशमन अधिनियम, 2009 की धारा–15 की प्रतिस्थापित उप–धारा–(1) इस प्रकार हैः–

*''कोई भी व्यक्ति आवासीय उद्देश्य या 16.5 मीटर से अधिक के **आवासीय भवन** के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने वाले भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है और 15 मीटर से अधिक के **अन्य आवासीय प्रयोजनों** के लिए भूखण्ड पर प्रस्तावित उंचाई में, जैसाकि ग्रुप हाउसिंग, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक–अप अपार्टमेंट आदि निर्माण शुरू होने से पहले, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, के अनुरूप अग्निशमन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन करेंगे जोकि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 53), कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) और पंजाब कारखाना नियम, 1952 के मापदण्ड के अनुरूप हो और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शुल्क निर्धारित किया गया हो ।''*

2. उपरोक्त प्रावधान नगर नियोजन विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा भवन संहिता, 2017 में पहले ही किया जा चुका है और शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवा, हरियाणा, पंचकूला विभाग को अग्निशमन विभाग के सम्बद्ध अधिनियम एवं नियमों में कथित प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया गया था।

3. अतः हरियाणा अग्निशमन सेवाएं अधिनियिम, 2009 की धारा 15 की उप–धारा (1) को प्रतिस्थापित करने हेतु विधि एवं विधायी विभाग द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 21/2020, दिनांक 17.08.2020 को परिवर्तित करने हेतु बिल हरियाणा विधान सभा सदन के समक्ष विचार और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

अनिल विज,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 24 अगस्त, 2020

आर० के० नांदल,
सचिव।